

कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया (जिला सामान्य शाखा)


आदेश

श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, पिता-स्व० केदार नारायण सिंह, साकिन+पो०-सन्हौली, थाना-चित्रगुप्तनगर, जिला-खगड़िया द्वारा आवेदन के माध्यम से सूचित किया गया कि उनके द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-29/1992 की अनुज्ञप्ति पुस्तिका खो जाने के कारण द्वितीयक प्रति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में थानाध्यक्ष चित्रगुप्तनगर थाना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके द्वारा सनहा दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया था जिसका SD Entry No. 515/2018 दिनांक 28.08.2018 है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन एवं थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर थाना के प्रतिवेदन के आलोक में शस्त्र अधिनियम 2016 के नियम 28 के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं०-IV-03/2018 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-07 पर दिनांक 22.01.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, पिता-स्व० केदार नारायण सिंह, साकिन+पो०-सन्हौली, थाना-चित्रगुप्तनगर, जिला-खगड़िया से शस्त्र अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कराते हुए द्वितीयक प्रति निर्गत करने का आदेश दिया जाता है।


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

- ज्ञापांक IV-22/2018.....58...../जी०, दिनांक 28.01.19
- प्रतिलिपि : सत्येन्द्र कुमार सिंह, पिता-स्व० केदार नारायण सिंह, साकिन+पो०-सन्हौली, थाना-चित्रगुप्तनगर, जिला-खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, चित्रगुप्तनगर थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आई०टी० प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।